[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, 29th March 2016

G.S.R. .....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 17, after sub-rule (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where all members of a company agree, the offer for buy-back may remain open for a period less than fifteen days."

[F.No. 01/04/2013 CL-V (part-II)]

29/03/2016

Amardeep Singh Bhatia, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notifications as detailed below:-

Sl.No.	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841 (E)	06.11.2015
5.	G.S.R. 290 (E)	10.03.2016

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख   मार्च, 2016

सा.का.नि. ....(अ). - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) दूसरा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"परंतु जहां किसी कंपनी के सभी सदस्य सहमत हो तो पुनः क्रय की प्रस्थापन पंद्रह दिन की अवधि से अन्यून के लिए खुला रखा जा सकेगा।"

[फा.सं. 01/04/2013 सीएल.V (पार्ट-II)]

अमरदीप
25/03/2016

(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव

टिप्पणीः मूल नियम सा.का.नि. 265(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा किया गया:-

क्रम संख्या.	अधिसूचना संख्या	तारीख
1.	सा.का.नि. 413(अ)	18.06.2014
2.	सा.का.नि. 210(अ)	18.03.2015
3.	सा.का.नि. 439(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि. 841(अ)	06.11.2015
5.	सा.का.नि. 290(अ)	10.03.2016